73

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT ~~WING~~), PATNA-800001

No. L.A. /Sur./ 271 **Date:** 23-09-11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna

Sir,

Audit Report No **205/2011-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Barahiya** for the period **2007-2008 to 2009-2010** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

Encl: - As above

23/9/11
Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing,
Bihar, Patna

(72)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या:– 205/2011–12
नगर पंचायत, बड़हिया

वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10

नगर पंचायत, बड़हिया के वित्तीय वर्ष 2007 08 से 2009 10 तक के लेखाओं का नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के एक अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 23.02.2011 से 03.03.11 तक की अवधि मे किया गया।

1. प्रशासन

कार्यपालक पदाधिकारी का नाम एवं अवधि

(i)	श्री रामजी साह, प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हिया	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 9.03.08 तक
(ii)	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी, लक्खीसराय	दिनांक 09.03.08 से दिनांक 07 07.08 तक
(iii)	श्री रामजी साह, प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हिया	दिनांक 07.07.08 से दिनांक 09.03.09 तक
(iv)	श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा	दिनांक 09.03.09 से दिनांक 13.12.09 तक
(v)	मो0 तारीक इकबाल	दिनांक 13.12.09 से दिनांक 31.03.10 तक

अध्यक्षा

(i)	श्रीमती रुपम सिंह	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 15.05.07 तक
(ii)	श्रीमती बसंती देवी	दिनांक 15.05.07 से दिनांक 31.03.10 तक

उपाध्यक्ष

(i)	श्री मनोज कुमार	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 15.05.07 तक
(ii)	श्री प्रमोद कुमार	दिनांक 15.05.07 से दिनांक 31.07.09 तक
(iii)	श्री चुनचुन सिंह	दिनांक 01.08.09 से दिनांक 31.03.10 तक

2. अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र

जिन अभिलेखो एवं पंजियो को अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया उसे परिशिष्ट I में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को न तो अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया और न ही संधारित किया गया था उसे परिशिष्ट I अ में दर्शाया गया है।

3. पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनो की स्थिति निम्न प्रकार है।

कमांक	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 एवं वर्ष	अवधि	बकाया कंडिका	निस्तारित	बकाया कंडिका
1	11/82 83	1979 80 से 1980 81 तक	1	—	1
2	89/89 90	1986 87 से 1987 88 तक	2	—	2
3	58/95 96	1988 89 से 1994 95	48	—	48
4	24/2001 02	1995 96 से 2000 01	33	—	33
5	142/2008 09	2001 02 से 2006 07	43	—	43

71

अंकेक्षण प्रतिवेदानों में संनिहित अंकेक्षण आपत्तियों के निस्तारण हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव मे आपत्तियों का निस्तारण नही हो सका। अंकेक्षण प्रतिवेदानों में आपत्तियो के निस्तारण एवं अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु लगातार कहा गया था। अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव में अनियमितताएँ यथावद्र रही।

नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में संनिहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्यवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निस्पादन हेतु स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना कार्यालय को प्रेषिम किया जाय।

4 अंकेक्षण की मुख्य उपलिब्धयॉ

कमांक	विवरणी	कंडिका
1	कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण नही	10
2	12वीं वित्त आयोग की राशि 5,47,665 रू को स्वर्ण जयन्ती में अंतरित	15
3	एकादश वित्त आयोग की राशि 1,83,670 रू0 का व्यय थाना परिसर में रोड निर्माण पर	16
4	एकादश वित्त आयोग की राशि 3,97,862.00 को राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यकम एंव स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में अंतरित	17
5	योजना सं0 15/2008 में 1,07,272 रू0 का अधिक भुगतान	19
6	चापाकल गड़ाई से सम्वद्ध 1762955रू0 का संदेहास्पद व्यय	21

5. आंतरिक अंकेंक्षण

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धार 97 के आलोक में राज्य सरकार अथवा नगरपालिका अपने दैनन्दिन लेखा की आन्तरिक लेखा परीक्षा का उपबंध विहित रीति से कर सकेगी। लेकिन अभीतक आंतरिक लेखा परीक्षा का उपबंध नगरपालिका मे नहीं किया गया था। बिहार नगर पालिका नियमावली 1928 के नियम 20, 30,64,66 एंव 126 में एवं बिहार नगरपालिका नियमावली (कर वसूली) के नियम 30, 31, 37 एवं 39 मे आंतरिक जांच का प्रावधान किया गया है जिसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाध्किारी द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि विहित नियत के अनुसार अभिलेखो एवं पंजियों का आंतरिक जांच किसी प्राधिकारी द्वारा नही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनेक अनियमितताएँ हुई। अनियमिताएँ आगे की कंडिकाओ मे वर्णित है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि नियमित रूप से अभिलेखों एवं पंजियो की जांच की जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ न होने पावें।

6. अधिदृश्य

पी0 एल0 लेखा का लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत बड़हिया का वित्तीय पोषण राज्य सरकार के अनुदान एवं निज आय स्त्रोत से होता है। प्राप्ति एवं भुगतान का सार वर्ष 2007 08 से 2009 10 तक का नीचे दिया जाता है।

वर्ष 2007–08

(रू0 में)

प्रारंभिक शेष 1.04.07	19,21,984.23
प्राप्तिः	61,22753.00
योगः	80,40,737.23
भुगतान	39,13,242.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.08 को	41,31,495.23

वर्ष 2008–09 का

(रू0 में)

प्रारंभिक शेष 1.04.08	41,31,495.23
प्राप्तिः	4269944.00
योगः	84,01439.00
भुगतान	59,25,614.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.09	24,75,825.23

वर्ष 2009–10 का

(रू0 में)

प्रारंभिक शेष 01.04.09 को	24,75,825.23
प्राप्तिः	44,690,83.00
योगः	69,44,908.00
भुगतान	7,82,533.00
संवरण शेषः 31.03.09	61,62,375.23

वार्षिक लेखा नगर पंचायत द्वारा तैयार नही किया गया था। वार्षिक लेखा के अभाव में शीर्षवार आय एवं व्यय अंकित नही किया गया था।

7. **लेखापाल रोकड़ बहीः–**

लेखापाल रोकड़ बही का संधारण भली भॉति नहीं किया गया था। रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में नही भुनाये गये चेकों की सूची अंकित नहीं की गयी थी। रोकड़ बही के प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष एवं बैंक लेखा/कोषागार लेखा के संवरण शेष के साथ समाधान नहीं किया गया था। 12 वी वित्त आयोग की अनुशंसित अनुदान राशि भी लेखापाल रोकड़ बही में अंकित किया गया था इसे अलग से संधारित नहीं किया गया था।

मार्च 09 में व्यय 15,500 रू0 हुआ जिसे मार्च 09 के विवरणी में 12,543 रू0 दर्शाया गया था। कोषागार पासबुक में 31.3.09 को 24,62,201.39 रू0 अंकित था जबकि रोकड़बही के विवरणी से 24,66,813. 39 रू0 दर्शाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक बड़हिया के खाते में 31.03.09 को संवरण शेष नही निकाला गया था। अंकेक्षण में समाधान करने पर 2,03,187.00 रू0 होता है जबकि रोकड़बही के विवरणी में 7046. 11रू0 दर्शाया गया।

रोकड़बही में बनाया गया विवरणी दोषपूर्ण था उसमे सुधार की आवश्यकता है।

31.03.2010 को रोकड़ बही का संवरण शेष	61,46,317.28 रू0
बैंक खाता सं0 1153572033 भारतीय स्टेट बैंक बडहिया का शेष कोषागार के अनुसार	3,32,536.00 रू0 कोषागार पास बुक अनुपलब्ध

(69)

कोषागार, पासबुक 1.04.09 से अनुपलब्ध था। अतः कोषागार, लक्खीसराय से पासबुक प्राप्त कर रोकड़ बही के संवरण शेष के साथ बैंक खाता एवं कोषागार पासबुक से समाधान किया जाय।

8. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड बही के आधार पर वर्ष 2008 09 एवं वर्ष 2009 10 की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

वर्ष 2008 –09 का

	(रू0 में)
प्रारंभिक शेष 01.04.08	शून्य
प्राप्तिः	56,75022.00
ब्याजः	1,15 500.00
योगः	57,90,522.00
भुगतानः	45,70,347.00
संवरण शेष 31.03.09	12,20,175.00

वर्ष 2009–10 का

	(रू0 में)
प्रारंभिक शेष	12,20,175.00
प्राप्तिः	91,01,207.00
ब्याजः	1,30,356.00
योगः	1,04,51738.00
व्ययः	शून्य
संवरण शेषः	1,04,51,738.00
बैंक खाता सं0 301883882 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लक्खीसराय	1,04,51,738.00

वर्ष 2009 10 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से व्यय नही किया गया था। 31.03.10 तक 1,04,51,738 रू0 बचा हुआ था। उपरोक्त राशि का व्यवहार विहित कार्यो में किया जाय ताकि अनुदान के उद्धेश्यों की पूर्ति हो सके।

9. सरकारी अनुदान :–

अनुदान पंजी का संधारण स्थानीय निकाय द्वारा नही किया गया था। अनुदान पंजी के अभाव मे 31.03.07 तक अव्यवहृत अनुदान की राशि मदवार ज्ञात नही हो सका।

अनुदान स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। रोकड़बही 2007 08 से 2009 10 तक मे प्राप्त अनुदान की कुल राशि 2,64,04442.00 को परिशिष्ट II मे दर्शाया गया है। अनुदान पंजी का संधारण वर्ष 2007 08 से 2009 10 तक का किया जाय जिसमें मदवार प्रारंभिक शेष, प्राप्त अनुदान योग व्यय एवं संवरण शेष अंकित हो।

10. कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण नहीं

गृहादि कर का मूल्यांकन वर्ष 1965 66 मे ही किया गया था। इसके बाद गृहादि कर का पुनरीक्षण नही किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियत 1922 की धारा 106 के आलोक में पांच वर्षो पर कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण करना है। कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण न होने से नगर पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही साथ विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बिहार नगरपालिका अधिनियत

2007 की धारा 127 की उपधारा 4(i) के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में होल्डिंगो का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा मानदंड का निर्धारण होल्डिंगो की अवस्थिति पर होगी एवं उपधारा 6 के अनुसार होल्डिंगो का वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्शक्षेत्रफल की माप के अनुसार संगणित होगी।

विभिन्न वर्गो के होल्डिंगो के लिए फर्श क्षेत्र का प्रति वर्गफुट किराया मूल्य नगरपरलिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय समय पर प्रकाशित किया जायेगा। अतः नगर पंचायत द्वारा कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण हेतु प्रभावी कार्यवाई की जाय ताकि आगे से राजस्व की हानि न हो।

11. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया:–

वार्षिक लेखा वर्ष 2007 08 से 2009 10 तक का तैयार नही किया गया था। आय विवरणी 2008 09 एवं 2009 10 से ज्ञात हुआ कि 41305.38 रू0 शिक्षा उपकर के रूप में तथा 40970.80 रू0 स्वास्थ्य उपकर के रूप में संगृहीत किया गया था। वर्ष 2007 08 का आय विवरणी अंकेक्षण मे अनुपलब्ध रहा जिससे शिक्षा उपकर एंव स्वास्थ्य उपकर की संगृहीत राशियो को ज्ञात नहीं किया जा सका। बिहार सरकार के निदेशानुसार गृहकर की राशि पर निर्धारित दर से शिक्षा उपकर एंव स्वास्थ्य उपकर की वसूली करने के बाद 10 प्रतिशत सेवा प्रभार की कटौती कर शेष राशि राज्य सरकार के संचित निधि के अंतर्गत संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर देना था। लेकिन शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि राजकीय कोष मे जमा नही किया गया था जिसका व्यौरा निम्नवत है

कमांक	**वर्ष**	**शिक्षा उपकर (रू0 में)**	**स्वास्थ्य उपकर (रू0 में)**
1	2008 09	20466.19	20329.06
2	2009 10	20839.19	20641.74
	योग	41305.38	40970.80
	सेवा प्रभार 10 प्रतिशत	4130.53	4097.08
	राजकीय कोष की राशि	37174.85	36873.72

वर्ष 2008 09 एवं 2009 10 मे संगृहीत राशि 37174.85 रू0 शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में 36873.72 रू0 को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कराया जाय।

12. अंकेक्षण के कम में जमा राशि

अंकेक्षण के कम मे ज्ञात हुआ कि 10,765 रू0 रोकड़पाल एवं तहसीलदार द्वारा संगृहीत किया गया था, जिसे जमा नही किया गया था। व्यौरा नीचे दिया जाता है:

कमांक	**रसीद सं एंव तिथि**	**राशि (रू0 में)**	**राशि संगृहीत कर्त्ता का नाम**
1	विविध रसीद सं0 4770 से 4766 दिनांक 7.07.09 से 23.03.10 तक	734.00	श्री अशोक दास, रोकड़पाल
2	विविध रसीद सं0 70 से 100	3830.00	श्री विपिन कुमार, तहसीलदार
3	एव. फर्म. सं0 1659 दिनांक 03.10.09	78.00	श्री विपिन कुमार, तहसीलदार
4	विविध रसीद सं0 832 से 849 दिनांक 11.01.10 से 29.03.10 तक	6123.00	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, तहसीलदार
	कुल रू0	**10765.00**	

(7)

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति किये जाने के पश्चात सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियो द्वारा भारतीय स्टैट बैंक बड़हिया के खाता संख्या 011535712033 में जमा करा दिया गया, जिसका ब्यौरा निम्नवत है।

				जमा कर्त्ता का नाम
1	दिनांक	26.02.11	734.00	श्री अशोक दास रोकड़ाल
2	दिनांक	03.03.11	3830.00	श्री विपिन कुमार, तहसीलदार
3	दिनांक	03.03.11	78.00	श्री विपिन कुमार, तहसीलदार
4	दिनांक	04.03.11	6123.00	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, तहसीलदार
			10765.00	

उपरोक्त राशियों का जमा संबंधित बैंक पासबुक में अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

13. संगृहीत राशि का विलम्ब से जमा किया जाना

संगृहीत राशि रोकड़पाल द्वारा 4 महीने से भी अधिक विलम्ब से बैंक मे जमा किया जाता था, उदाहरण नीचे दिये जाते है:

कमांक	सैरात की प्रकृति	वसूल कर्त्ता का नाम	वसूली की तिथि	राशि (रू0 में)	रोकड़पाल द्वारा प्राप्ति की तिथि	रोकड़पाल द्वारा जमा की तिथि
1	बाजार टोल टैक्स	श्री दिनेश सिंह	01.01.10 से 20.01.10 तक	14000	23.01.10	28.05.10
2	टैक्सी स्टैण्ड	श्री बी0 पी0 सिंह	01.01.10 से 20.01.10 तक	13302	27.01.10	28.05.10
3	सब्जी मंडी	श्री सत्य नारायण सिंह	01.01.10 से 27.01.10 तक	6260	28.01.10	28.05.10

वसूली राशि का विलम्ब से जमा किया जाना भी एक प्रकार का अस्थायी गबन है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी संगृहीत राशि पर सतत् ध्यान दे ताकि संगृहीत राशि ससमय जमा होता रहें।

14. स्वीकृत पदें एवं कार्यरत बलों की स्थिति

नगर पंचायत द्वारा समर्पित विवरणी से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत बड़हिया में विभिन्न संवर्गो मे 50 पदें स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 23 कर्मचारी कार्यरत है और 27 पदे रिक्त है। 27 पद रिक्त होने से नगर पंचायत का दिन प्रतिदिन का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

14(1) अस्वीकृत पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति :–

बिहार नगर पालिका अधिनियत 2007 की धारा 37 की उपधारा 10 के अनुसार पदाधिकारियों एंव कर्मचारियो के पदो के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। नगर पंचायत बड़हिया में श्री गणेश सिंह को अस्वीकृत पद पर मानदेय राशि पर रखा गया था। इनकी नियुक्ति से संबंधित संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया था। स्थानीय निकाय द्वारा समर्पित स्वीकृत पदें एंव कार्यरत बलों की विवरणी से विदित होता है कि ड्राईवर का पद स्वीकृत नहीं था। श्री गणेश सिंह को ड्राईवर के पद पर मानदेय राशि (संविदा) पर नियुक्त किया गया था, जिनको वर्ष 2007 08 से 2009 10 में 96400 रू0 का भुगतान किया गया था जिसे परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। उपर्युक्त व्यय को राज्य सरकार से स्वीकृति लंबित रहने तक कुल किये गये भुगतान की राशि 96,400 रू को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

66

15. 12वी वित्त आयोग अनुशंसित राशि का स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार में अंतरितः—

अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि चेक संख्या A328105 दिनांक 23.12.08 के तहत 12 वीं वित्त आयोग की राशि 5,47,665.00 रू0 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अंतरित किया गया था जो भारतीय स्टेट बैंक बड़हिया के खाता सं0 11535714212 में दिनांक 13.02.09 को जमा पक्ष में अंकित था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का रोकड़बही अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था। अतः रोकड़ बही में प्रविष्टि की जांच न हो सकी। उक्त राशि से व्यय से संबधित अभिश्रव भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था। 12 वी वित्त आयोग के निदेशानुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अंतरित करना अनियमित था। अतः उपरोक्त राशि को 12 वी वित्त आयोग में अंतरित (वापस) करवाने की कार्यवाई की जाय।

16. एकादश वित्त आयोग अनुशंसित राशि का विचलनः—

एकादश वित्त आयोग अनुशंसित राशि का व्यय निम्नलिखित प्रयोजनों में किया जाना है:—

(1) जलापूर्ति

(2) सामुदायिक शौचालय का निर्माण

(3) स्वच्छता से संबंधित (Sanitation)

(4) लेखा संधारण।

लेखापाल रोकड़बही से ज्ञात हुआ कि 1,83,670 रू0 का व्यय थाना परिसर में चौकीदारी शेड के निर्माण पर किया गया था, जिसका व्यौरा निम्नवत हैं

			(रू0 में)
(i)	चेक सं0 397637	दिनांक: 13.04.07	50,000.00
(ii)	चेक सं0 397639	दिनांक: 23.05.07	50,000.00
(iii)	चेक सं0 398709	दिनांक: 06.12.06	33,670.00
(iv)		दिनांक: 06.12.06	50,000.00
		कुल —	**रू01,83,670.00**

थाना परिसर में चौकीदार शेड बनाने से संबंधित अभिलेख/संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह कार्य श्री विपिन कुमार द्वारा कराया गया था। एकादश वित्त आयोग अनुशंसित राशि का उपयोग थाना परिसर में चौकीदार शेड बनाना अनियमित था।

अतः उचित स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने तक व्यय की सम्पूर्ण राशि 1,83,670 रू0 को लेखा परीक्षा आपत्ति में रखी जाती है।

17. एकादश वित्त आयोग अनुशंसित राशि को राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम एंव स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अंतरित :—

लेखापाल रोकड़ बही के अंकेक्षण क्रम में ज्ञात हुआ कि एकादश वित्त आयोग की राशि को राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम (N.S.D.P) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अंतरित किया गया था जिसका व्यौरा निम्न है:

(65)

कमांक	चेक सं0	तिथि	राशि (रू0 में)	किस निधि में अंतरित
1	A397641	दिनांक: 07.06.07	1,60517.00	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम
2	A397642	दिनांक: 07.06.07	2,37,345.00	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
		योग रू0	3,97862.00	

भारतीय स्टेट बैंक बड़हिया खाता संख्या 01100050134 मे ₹ 160517/ जमा की जांच की 29.05.07 के उपरान्त पासबुक/स्टेटमेन्ट की अनुपस्थिति में नही किया जा सका। इसी तरह 2,37,345 रू0 की भी जांच भारतीय स्टेट बैंक बड़हिया खाता संख्या 11535714212 में नही हो सका क्योंकि विवरण पासबुक/स्टेटमेन्ट मे दिनांक 02.05.07 से अंकित नही था। राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम एवं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बहियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गयी। अतः उपरोक्त राशियों की प्रविष्टियॉ की जॉच संबंधित रोकड़ बही मे नही की गयी। एकादश वित्त आयोग के आलोक में उपरोक्त मदों/निधियों मे एकादश वित आयोग की राशियों का अंतरित करना अनियमित था। राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम एवं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के व्यय से संबंधित अभिश्रवों को भी अंकेक्षण मे उपलब्ध नही कराया गया था। अतः उपरोक्त निधियों मे अंतरित एकादश वित्त आयोग की राशियो को अविलम्ब एकादश वित्त आयोग की निधि में अंतरित करवाने हेतु कार्यवाई की जाय।

18. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की योजना संख्या 5/2008:–

योजना का नाम वार्ड 5 में सुरेश सिंह के घर से स्व0 मदन सिंह के घर तक मिट्टी भराई, सोलिंग पक्कीकरण एवं नाली निर्माण

प्राक्कलित राशि: 300,000रू0

(i) रोड निर्माण हेतु प्राक्कलन 1,82,256 रू0

(ii) नाली निर्माण हेतु प्राक्कलन 1,16 280 रू0

तकनीकी स्वीकृति 3,00,000 रू0 का सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 22.07.08 को दिया गया था।

अभिकर्त्ता का नाम श्री राम बालक सिंह, स्वच्छता निरीक्षक।

अभिकर्त्ता को भुगतान की गयी राशि का व्यौरा निम्न है

			(रू0 में)
(i)	चेक सं0 030855	दिनांक: 11.11.08	7,500.00
(ii)	चेक सं0 030866	दिनांक: 19.11.08	1,00,000.00
(iii)	चेक सं0 030867	दिनांक: 10.12.08	1,00,000.00
(iv)	चेक सं0 030868	दिनांक: 29.12.08	78,124.00
		कुल–रू0	2,85,624.00

लेखा परीक्षा टिप्पणी:–

(क) नाला निर्माण हेतु 570 फीट का प्रावधान किया गया था लेकिन नाला का निर्माण मापी पुस्त के अनुसार 236 फीट ही किया गया था। नाला निर्माण पर 38,261 रू0 (33,994+भाड़ा 4267 रू0) का ही व्यय किया गया था। नाला का कार्य अधुरा की छोड दिया गया था। नाला का कार्य अधुरा छोड़ने का कारण

अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अधुरा नाला रहने से 38,261 रू0 का व्यय निष्फल रहा, जिसकी वसूली सम्बंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(ख) रोड निर्माण हेतु 1,82,256 रू0 का प्रावधान प्राक्कलन मे था जबकि रोड निर्माण पर 2,67,756 रू0 (2,31,486+ भाडा 36270रू) का व्यय किया गया था। इस प्रकार रू0 85,500 अधिक व्यय किया गया था। प्राक्कलित राशि से 46.91 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया था। नयमानुसार 10 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में प्राक्कलन को संशोधित करना चाहिए था। प्राक्कलन का न तो संशोधन किया गया था और न ही सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति ली गयी थी।

प्राक्कलन संशोधन किए बिना एंव सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना अधिक भुगतान की गयी राशि 85,500 रू0 नियमित नही है, अतः इसे लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(ग) वैट की कटौती कम की गयी थी, जो निम्नवत है :–

1	ईट की कीमत	38,497	4%	1539.88
2	चिप्स का कीमत	48,000	4%	1920.00
3	बालू का कीमत	34,000	4%	1360.00
4	स्थानीय बालू का कीमत	4,120	4%	164.80
5	सिमेन्ट का कीमत 358 बोरा	89,500	12.5%	11187.50
			कटौती होनी थी	16172.18
			कटौती की गयी राशि	12000.00
			कम कटौती की राशि	4172.18

स्वामित्व की कटौती कम की गयी थी, जो निम्नवत है:–

(i)	ईट की संख्या	13749	20 रू प्रति हजार	598.42
(ii)	चिप्स	44.35m^3	50रू0 / m^3	2217.50
(iii)	बालू	25.68 m^3	32रू0 / m^3	821.76
(iv)	स्थानीय बालू	45.68 m^3	32रू0 / m^3	1461.76
			कटौती होनी थी	5099.44
			कटौती की गयी राशि	2376.00
			कम कटौती की राशि	2723.44

वैट के रूप में 4172.18 रू0 एंव स्वामित्व के रूप मे 2723.44 रू0 की कम कटौती होने के कारण अभिकर्त्ता को 6895.62 रू0 अधिक भुगतान किया गया जिसे वसूल कर राज्य सरकार के उपयुक्त शीर्ष में जमा करवाया जाय।

19. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की योजना संख्या 15/2008:–

योजना का नाम: वार्ड 22 में भूपाल सिंह धर के बगल से गंगतीरी तक सोलिग एवं पी0 सी0 सी0 कार्य

प्राक्कलित राशि: 400,000 रू0

तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 22.07.08 को प्रदान किया गया था।

अभिकर्त्ता का नाम: श्री राम बालक सिंह, स्वच्छता निरीक्षक

मापी के अनुसार कृत कार्य का मूल्य– 4,00,814.00 रू0

(63)

अभिकर्त्ता को भुगतान की गयी राशि का व्यौरा निम्न है।

(i)	चेक संख्या 030865	दिनांकः 11.11.08		7,500.00रू0
(ii)	चेक संख्या 030866	दिनांकः 19.11.08		1,00,000.00रू0
(iii)	चेक संख्या 030867	दिनांकः 10.12.08		1,00,000.00रू0
(iv)	चेक संख्या 030868	दिनांकः 29.12.08		1,74,462.00रू0
			कुल	3,81,962.00रू0
			स्वामित्व	2,038.00रू0
			वैट	16,000.00रू0
				18,038.00रू0
			कुल योग रू0	4,00,000.00

लेखा परीक्षा टिप्पणीः—

(क) बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 356/न0 वि0 एवं आ0 वि0 पटना दिनांक 25.01.08 के द्वारा विभागीय कार्य कराने पर रोक लगा दी गयी थी। सभी कार्य निविदा के माध्यम से कराना था। लेकिन अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त योजना का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर किया गया जो कि सरकार के आदेश का उल्लघन है।

सड़क में मिट्टी भराई:

मापी पुस्त के अनुसार : 641.46m^3@ 120.40/m^3 77231.00। प्राक्कलन में 624.04 m^3@ 120.40 /m^3 75134.00 रू0 का प्रावधान था। ट्रान्सपोर्ट के द्वारा दुलाई दुरी 3 K.M अंकित था। लेकिन मिटी ढुलाई से संबंधित अभिश्रव संचिता में अनुपलब्ध था। विभागीय कार्य में अभिकर्त्ता द्वारा अभिश्रव देना अनिवार्य है। बिना अभिश्रव के मिट्टी भराई का कार्य नियमित नहीं माना जा सकता है।

(ख) संघनित मात्रा का मिट्टी का ही कार्य में भुगतान करना है। मिटी भराई का संघनन (Compaction) मजदूरो द्वारा किया गया जैसा कि प्राक्कलन में प्रावधान था। मजदूर द्वारा संघनित मात्रा 641.46 m^3का 30 प्रतिशत कम होगा। 192.438 m^3

192.438 m^3@ 19.70/ m^3 3791.02 अर्थात 3791 रू0 का अधिक भुगतान किया गया था।

अधिक भुगतान की राशि 3791 रू की वसूली सम्बधित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

(ग) कार्य का विश्लेषणः—

(1)	मिटी भराई 641.46 m^3	$\frac{614.46 \times 11}{28.32}$	242 मजदूर
(2)	ईट फलैट सोलिंग	444.98 m^2@ 32.25 ईट/m^2	14355 ईट
		444.98 m^2@.01526 बालू/ m^3	6.8 m^3
		444.98 m^2@.1075/Labour	48 मजदूर
		444.98 m^2@.537/ मिस्त्री	24 मिस्त्री

मस्टर रौल की जांच के कम में पाया गया कि विपत्र में 1,87,838 रू0 का भुगतान दिखाया गया था, जबकि वास्तव में मस्टर रौल रू0 78,286 का ही संचिका मे संलग्न था।

स्वामित्व की कम कटौती :–

		(रू0 में)
(i)	ईंट 14364 सं0 20 रू0 प्रतिहजार	287.28
(ii)	स्टोन चिप्स $61m^3$@$50/m^3$	3050.00
(iii)	बालू 30.50 m^3@$32/m^3$	976.00
(iv)	स्था0 बालू 74.59 m^3@$32/m^3$	2386.88
	कुल	6700.16
	कटौती की गयी राशि–	2038.00
	कम कटौती की राशि	4662.16

वैट की कम कटौती :–

	मद	कीमत	दर	राशि (रू0 में)
(i)	ईंट का कीमत	40217	4%	1608.68
(ii)	सिमेन्ट का कीमत	112000	125%	14000.00
(iii)	स्टोन चिप्स का कीमत	66000	4%	2640.00
(iv)	किउल बालू का कीमत	11000	4%	440.00
(v)	गंगा बालू का कीमत	6100	4%	244.00
			कुल	18932.68
			कटौती की राशि	16000.00
			कम कटौती की राशि	2932.68

(3)	बालू भराई	$67.79M^3$ 67.79 / 2 832 प्रति मजदूर = 24 मजदूर
(4)	पी0सी0सी0	(1:1½:3) 67.79 M^3
	सिमेन्ट की मात्रा	67.79 x .2186 19.387 M^3
	बालू की मात्रा	67.79 x .43 29.14 M^3
	स्टोन चिप्स	67.79 x .86 58.299 M^3
	मजदूर	67.79 M^3 x 37.63 M^3 प्रति मजदूर 26 मजदूर
	मिस्त्री	67.79 M^3 x .1612 मजदूर प्रति M^3 11
(5)	संधनन 641.46 x .1059 मजदूर प्रति M^3	68 मजदूर
	कुल मजदूर	242+48+24+26+68 408 मजदूर
	मिस्त्री	24+11 35

मजदूरों एवं मिस्त्री को अनुमान्य भुगतान:

	(रू0 में)
408 मजदूर को 89 रू0 की दर से	36312
35 मिस्त्री को 110 रू0 की दर से	3850
कुल–	**40,162**

सामग्री पर व्यय (अभिश्रव के अनुसार)

(i)	पथ्थर एवं लिखाई	रू0 3000
(ii)	ईंट 14364 की कीमत	रू0 40219
(iii)	सिमेन्ट 448 बोरा का कीमत	रू0 1,12,000
(iv)	गिट्टी 22 ट्रेलर	रू0 66,000
(v)	किउल बालू 11 टेलर	रू0 11,000
(vi)	गंगा बालू का कीमत	रू0 61000
		रू0 2,38,319
	कुल अनुमान्य व्यय रू0 40162 + 2,38,319	2,78,481.00
	अभिकर्त्ता को भुगतान की राशि रू0	3,81,962/

इस प्रकार अभिकर्त्ता को कुल रू0 1,03,481/ (रू0 3,81,962 - रू0 2,78,481) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की राशि अभिकर्त्ता/ जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय।

20. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधिः–

योजना संख्या	6/2008
योजना का नाम	नगर पंचायत, वार्ड संख्या 6 में पी0सी0सी0 रोड एवं नाला निर्माण (570 फीट लंबी सड़क एवं नाली)
अभिकर्त्ता का नाम	श्री राम बालक सिंह, स्वच्छता निरीक्षक
प्राक्कलित राशि	रू0 3,00,000
सड़क का प्राक्कलन	रू0 1,82,256
नाला का प्राक्कलन	रू0 1,16,280

अभिकर्त्ता को भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा निम्न है:

चेक संख्या 030856 दिनांक 11.11.08	रू0 7500.00
चेक संख्या 030866 दिनांक 19.11.08	रू0 1,00,000.00
चेक संख्या 030867 दिनांक 10.12.08	रू0 1,00,000.00
चेक संख्या 030868 दिनांक 29.12.08	रू0 78,924.00
कुल --	**रू0 2,86,424.00**

(क) मापी पुस्त के अनुसार 255 फीट की नाला का निर्माण किया गया था, जबकि प्राक्कलन में 570 फीट नाला निर्माण का प्रावधान किया गया था। अतः नाला का कार्य अधुरा ही रह गया था, जिस पर रू0 42,000 का (रू0 38187 +भाड़ा रू0 3819) व्यय किया गया था। सड़क निर्माण हेतु प्राक्कलन रू0 1,82,256 था लेकिन मापी पुस्त से ज्ञात हुआ कि रू0 2,58,210 (रू0 2,32,348 + भाड़ा रू0 25,862) का व्यय किया गया था। प्राक्कलन के प्रावधान से रू0 75,954.00 का अधिक व्यय किया गया था। किसी मद में 10 प्रतिशत से अधिक व्यय होने पर प्राक्कलन को संशोधित किया जाना है। प्राक्कलन के प्रावधान से 41.67 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ फिर भी प्राक्कलन का संशोधन नहीं किया गया था। अधिक व्यय की किसी सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति भी नहीं ली गयी थी।

अतः रू0 75,954.00 व्यय हुए अधिक राशि को अंकेक्षण में नियमित नहीं माना जा सकता है और लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है। नाला निर्माण का कार्य अधुरा छोड़ ने का कारण अंकेक्षण में नहीं दिया गया था। नाला निर्माण पर हुए व्यय रू0 42,000 रू0 निष्फल हुआ जिसकी वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(ख) वैट एवं स्वामित्व एवं गाड़ी भाड़ा की कटौती विपत्र से, कम की गयी थीः–

वैट की राशिः–

कमांक	विवरण	राशि रू0 में	दर	वैट की राशि रू0
1	ईट 13380 संख्या, शिवा ईट निर्माण जौतपुर बड़हिया सं0 3502 दिनांक.........	37,464	4%	1,498.00
2	सिमेन्ट 356 बैग मां थावे हार्डवेयर 119 दिनांक 10.11.08	89,000	12.5%	11,125.00
3	9 टेलर बालू B.R.H- 4779 श्री गुणेश सिंह (तिथि अंकित नही)	9,000	4%	360.00
4	17 टेलर गंगा बालू B.R.H- 4779 श्री गुणेश सिंह	4120	4%	164.80
5	16 टेलर मिट्टी B.R.H- 4779 श्री गुणेश सिंह	4800	4%	1,920.00
		कटौती होनी थी रू0		**15067.80**
		कटौती की गयी राशि रू0		**12,000.00**
		कम कटौती की राशि रू0		**3067.80**

स्वामित्वः–

(i)	ईट की संख्या 13,380	रू0 20 प्रति हजार	रू0 276.60
(ii)	चिप्स 44.35M^3	50 रू0 / M^3	रू0 2217.50
(iii)	बालू 25.65 M^3	32 रू0 / M^3	रू0 821.76
(iv)	स्थानीय बालू 45.68 M^3	32रू0 / M^3	रू0 1461.76
		कुल	रू0 4777.62
		कटौती की गयी राशि	रू0 1576.00
		कम कटौती राशि	रू0 3201.62

गाड़ी भाड़ाः–

गाड़ी भाड़ा का प्रावधान 10 प्रतिशत किया गया था।

सड़क निर्माण पर व्यय	2,32,348 रू0 का 10%	रू0 23348.00
नाला निर्माण पर व्यय	38181 रू0 का 10%	रू0 3819.00
	कुल	रू0 27167.00
मापी के अनुसार भाड़ा पर व्यय		रू0 29,681.00
अधिक भुगतान		रू0 2514.00

अभिकर्त्ता को हुए कुल अधिक भुगतान का व्यौरा निम्नवत हैः

वैट की कम कटौती	रू0 3067.80
स्वामित्व की कम कटौती	रू0 3201.62
भाड़ा पर अधिक व्यय	रू0 2514.00
कुल –	**रू0 8783.42**

अतः अभिकर्ता से रू0 8783.42 की वसूली की जाय एवं वैट की राशि रू0 3067.80 और स्वामित्व की राशि रू0 3201.62 को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर देंगे।

21. **(i) चापाकल गाड़नाः—**

माननीय विधायक के अनुशंसा पर वितीय वर्ष 2007 -08 में नगर पंचायत बड़हिया को नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 856 / न0 वि0 आ0 वि0 दिनांक 21.02.08 के द्वारा प्रत्येक वार्ड में दो दो चापाकल, कुल चौबीस वार्डो में 48 चापाकल के लिए प्रति चापाकल 38,950 रू0 की दर से 18,69,600 रू0 आवंटित किया गया था। चापाकल गाड़ने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा आमंत्रण सूचना संख्या1 / 2008 09 दिनांक 20.04.08 थी। निविदा में श्री राम प्रमोद सिंह, श्री शिव कुमार एवं श्री दिनेश कुमार सिंह ने भाग लिया। उन निविदाताओं ने प्राक्कलित राशि का 1.5 % कम पर निविदा प्रपत्र भरा था।

निविदा दाताओं का समान दर रहने के कारण लॉटरी पद्धति से कार्य का आवंटन किया गया जिससे श्री राम प्रमोद सिंह एवं श्री दिनेश कुमार सिंह को कार्य सौंपा गया था।

योजना सम्बन्धी प्राक्कलन संचिका में संलग्न नही था अतः किसके द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी, ज्ञात नही किया जा सका। कार्य को चार समूहों में 12 चापाकल करके विभाजित किया गया था। मापी पुस्त से ज्ञात हुआ कि समूह 1 श्री राम प्रमोद सिंह को एवं समूह 2,3 एवं 4 को श्री दिनेश कुमार सिंह को दिया गया था।

समेकित रूप से 12 चापाकल की मापी का एक साथ दिखाया गया। मापी पुस्त में यह अंकित नही था कि चापाकल किस स्थान पर गाड़ा गया। मात्र यह अंकित था कि समूह 1 में वार्ड 1 से 6 तक समूह 2 में वार्ड 7 से 12 तक समूह 3 में वार्ड 19 से 24 वार्ड तक एवं समूह 4 में वार्ड 13 से 18 वार्ड तक चापाकल गाड़ा गया। जिस वार्ड में चापाकल गाड़ा गया था वहॉ के निर्वाचित सदस्य का चापाकल गाड़ने से सम्बंधित प्रमाण उपलब्ध नही था। चापाकल का फोटोग्राफ भी नही लिया गया था। बिहार लोक निर्माण संहिता एवं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के आलोक मे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही अंतिम भुगतान करना चाहिए था। लेकिन कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा नही दिया गया था। संवेदको को भुगतान की गयी राशि का ब्यौरा निम्न है

कमांक	संवेदक का नाम	विवरण	राशि रू0 में	चेक सं0 एवं तिथि	राशि रू0 में
1	श्री राम प्रमोद सिंह	वार्ड 1 से 6 तक 12 चापाकल	4,05,056	A397648 / 06.09.08	3,03,897
				A397649 / 06.11.08	1,01,159
				कुल	4,05,056
2	श्री दिनेश कुमार सिंह	वार्ड सं0 7 से 12 12 चापाकल	4,04,613	A397647 dt. 06.09.08	202318
3	श्री दिनेश कुमार सिंह	वार्ड सं0 19 से 24 12 चापाकल	4,04,619	A397650 dt. 06.11.09	10,11,920
4	श्री दिनेश कुमार सिंह	वार्ड सं0 13 से 18 12 चापाकल	4,05,006	कुल	12,14,238
		कुल –रू0	**12,14,238**		
		कुल राशि--	**16,19,294**		

(ii) आवंटन आदेश संख्या 1711 दिनांक 29.03.08 के द्वारा पाच चापाकल गाड़ने हेतु रू0 1,75,720 नगर पंचायत बड़हिया को विधान पार्षद के अनुशंसा पर प्राप्त हुआ था।

श्री प्रमोद कुमार सिंह को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया गया था। प्राक्कलित राशि से 1.5 प्रतिशत कम पर कार्य सौंपा गया था।

मापी के अनुसार	रू0 1,64,319.00
1.5% कम	2,465.00
कुल –	**रू0 1,61,854.00**

बैधानिक कटौती रू0 18913 के बाद रू0 1,43,661 चेक संख्या 08690 दिनांक 06.11.08 के तहत भुगतान किया गया। इस कार्य में समरूपत: वही त्रुटिया थी जो 48 चापाकल गाड़ने में थी।

नगर पंचायत बड़हिया में कुल 53 (48+5) चापाकल गाड़ा गया था। चापाकल गाड़े गए स्थान का नाम अंकित नहीं था। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का अभाव तथा चापाकल गाड़ने का किसी सदस्य/ वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में 53 जगहो पर गाड़े गये चापाकल का सर्वेक्षण कराया जाय एवं यह सुनिश्चित कराया जाय कि चापाकल का कार्य संतोषप्रद है अथवा नहीं, इसके फलाफल से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को अवगत कराया जाय। चापाकल गाड़ने में संवेदकों को किए गये कुल भुगतान की राशि रू0 17,62,955 (रू0 16,19,294 + रू0 1,43,661) को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

22. स्वामित्व की राशि राज्यकीय कोष में जमा नहीं:–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 15 योजनाएँ वर्ष 2008 09 में ली गयी थी उसे पूर्ण कर दिया गया था। 15 योजनाओं के अंतर्गत स्वामित्व के रूप में रू0 29,461 की कटौती की गयी थी जिसे संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। कटौती की गयी राशि का ब्यौरा निम्न है:

कमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	स्वामित्व की राशि रू0 में
1	1/2008	2114.00
2	2/2008	2574.00
3	3/2008	1661.00
4	4/2008	2313.00
5	5/2008	2376.00
6	6/2008	1576.00
7	7/2008	1662.00
8	8/2008	2144.00
9	9/2008	1701.00
10	10/2008	1614.00
11	11/2008	2302.00
12	12/2008	1648.00
13	13/2008	2164.00
14	14/2008	1574.00
15	15/2008	2038.00
	कुल –	**29,461**

उपरोक्त रू0 29461 को राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कराया जाय।

23. अग्रिम:--

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 74 के अनुसार अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अग्रिम पंजी असंधारित रहने के कारण दिनांक 31.03.07 तक का बकाया अग्रिम ज्ञात न हो सका। नियमावली 76 (सी) के अनुसार प्रथम अग्रिम समायोजित होने के ही उपरांत द्वितीय अग्रिम प्रदान किया जाय। लेकिन अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि अग्रिम समायोजित किये बिना ही द्वितीय अग्रिम प्रदान किया गया। लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक कुल रू0 5,76,223.00 अग्रिम रूप में भुगतान किया गया था जिसका समायोजन नहीं किया गया था। जिसे परिशिष्ट IV में दर्शाया गया है।

असमायोजित अग्रिम राशि को समायोजन/वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

24. अंकेक्षण के परिणाम :--

(i)	वसूली हेतु सुझाव की राशि	रू0 2,03,212.00
(ii)	अंकेक्षण आपत्ति में रखी गयी राशि	रू0 22,04,479.00
(iii)	अंकेक्षण के कम जमा की गयी राशि	रू0 10,765.00
(iv)	अधिभार से वसूली की राशि	शून्य

(परिशिष्ट V में संदर्भित)

25. कार्यपालक पदाधिकारी से विचार विमर्श:--

अंकेक्षण के कम में मुख्य अंकेक्षण आपत्तियों के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से समय समय पर विचार विमर्श किया गया।

26. सामान्य अभ्युक्ति :--

नगर पंचायत बखरिया के लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। उसमें काफी सुधार की आवश्यकता थी। नगर पंचायत द्वारा मुख्य अभिलेखों यथा अनुदान पंजी, अग्रिम पंजी मांग एवं वसूली पंजी गृहादिकर, एवं वार्षिक लेखा संधारित नहीं किया गया था। कर का पुनरीक्षण नहीं कराया गया था।

(बा0कु0 सिंह)

आई0पी0ए0आई0

(56)

सं0एल0ए0 / अधिभार /   दिनांकः–

नगर कार्यापालक पदधिकारी, बड़हिया को अग्रसारित करते हुए उनसे अनुरोध है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन को नगर पंचायत की बैठक में रखा जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अंदर स्थानीय लेखा परीक्षाक बिहार, पटना, कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

ह –
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी / अधिभार

ज्ञापांकः– एल0ए0 / अधिभार 271   दिनांक– 23-09-11

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित:–

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिला दंडाधिकारी, लखीसराय
3. स0ले0प0अ0 / अधिभार

पंकज
23/9/11
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी / अधिभार

परिशिष्ट I

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया की सूची को दर्शाया गया है।

(कंडिका में संदर्भित)

(1) लेखापाल रोकड़ बही
(2) बैंक पासबुक
(3) रोकड़पाल रोकड़ बही
(4) एच फार्म रसीद
(5) दैनिक संग्रह पंजी
(6) विविध रसीद
(7) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही
(8) पासबुक / बैंक स्टेटमेंट
(9) योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की
(10) मापी पुस्त
(11) अभिश्रव
(12) भंडार पंजी
(13) वेतन भुगतान पंजी
(14) विधायक से अनुशंसित अनुदान के तहत चापाकल गाड़ने की संचिका, मापी पुस्त एवं अभिश्रव
(15) बाजार शेड कैश, टैक्सी स्टैंड एवं तहबाजारी वसूली का विभागीय संग्रहण (Departmental Collection)

परिशिष्ट I अ

जिन अभिलेखों को न तो संधारित किया गया था और न तो अंकेक्षण उपस्थापित किया गया था, की सूची को उद्धरित किया गया है,

1) अनुदान पंजी
(2) अग्रिम पंजी
(3) बजट
(4) मांग एवं वसूली पंजी गृहकर आदि का
(5) दूषित एवं भयानक व्यापार लेखा
(6) सम्पूर्ण मांग का प्रगति प्रतिवेदन
(7) मोबाइल टावर की संचिका एवं पंजी
(8) होर्डिंग का संचिका एवं पंजी
(9) कसाईखाना लेखा (slaughter house)
(10) बकाया अग्रिम की सूची
(11) डिपोजिट रजिस्टर
(12) बकाया गृहादि कर की सूची
(13) सेवा पुस्त एवं निजी संचिका
(14) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का रोकड़ बही
(15) राष्ट्रीय मेली बस्ती विकास कार्यक्रम (N-S-D-P) का रोकड़ बही
(16) कोषागार का पासबुक
(17) भविष्य निधि लेखा एवं पासबुक
(18) पेंशन निधि का रोकड़ बही एवं पासबुक
(19) वार्षिक लेखा
(20) सम्पत्ति पंजी
(21) निवेश पंजी (Investment register)
22) नामांतरण संचिका एवं पंजी (Mutation files & register)
23 स्वीकृत नक्शा की सूची एवं पंजी
24. नये भवन का मूल्यांकन (Assessment of new building)
25. सरकारी भवनों के विरुद्ध बकाया गृहकर की सूची एवं पंजी
26 अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

परिशिष्ट II

प्राप्त अनुदान की राशियों को दर्शाया गया है।
(कंडिका 9 के संदर्भित)

क्र. सं.	पत्रांक व दिनांक	राशि (रु०)	मद	रोकड़बही में प्रविष्टि का दिनांक	अभ्युक्ति
1.	—	40745	बी.पी.एल लिस्ट तैयार करने हेतु	27.12.07	
2.	न.वि.वि. पत्रांक 5264/26.11.07	16,23,576	वेतन हेतु	20.01.08	
3.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 5674/19.12.07	14,65,494	योजना हेतु	31.03.08	
4.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 856/21.02.08	18,69,600	विधायक मद से चापाकल हेतु	31.03.08	
5.		4,34,000	मैचिंग ग्रांट ड्राफ्ट सं. 227581 दिनांक 4.4.08	28.4.08	
6.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 1617/27.5.08	7,32,748	बारहवीं वित्त की राशि वर्ष 2007-08	16.5.08	
7.		72,000	कबीर अंत्योदय योजना चेक सं. 090563 दिनांक 4.6.08	8.7.08	
8.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 4622/4.9.08	13,00,000	वेतन हेतु	19.9.08	
9.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 4535/29.8.08	85,200	निर्वाचित सदस्यों के मानदेय हेतु	13.2.09	
10.		1,44,000	कबीर अंत्योदय योजना चेक सं. 903247 दिनांक 20.12.08	20.3.09	
11.		1,02,000	महादलित बच्चों की पोशाक चेक सं. 068332 दिनांक 8-8-09	10.8.09	
12.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 26/6.3.10	6.01.446	मैचिंग ग्रांट	31.3.10	
13.	न.वि.आ.वि. पत्रांक 28/17.3.10	7.53,328	बारहवीं वित्त	31.3.10	

क्र.सं.	पत्रांक व दिनांक	राशि (रु)	मद	रोकड़बही में प्रविष्टि का दिनांक	अभ्युक्ति
14.	म.वि.आ.वि. पत्रांक 27/17.3.10	15,66,860	बारहवीं वित्त	31.3.10	
15.	म.वि.आ.वि. पत्रांक 5/8.3.10	8,37,216	वेतन मद	31.3.10	
16.		56,75,022	बी.आर.जी.एफ.	8.5.08	
17.		37,24,500	बी.आर.जी.एफ.	5.6.09.	
18.		47,45,607	बी.आर.जी.एफ.	31.12.09.	
19.		6,31,100	बी.आर.जी.एफ.	13.6.09.	

सकल योग- 26404472

नागेन्द्र कुमार यादव
आडिटर.

परिशिष्ट III

श्री गणेश सिंह को 2007-8 से 2009-10 तक में किये भुगतान को दर्शाया गया है (कंडिका 14(ii) में संदर्भित) 1.4.07 से 31.3.10

क्रमांक	माह का नाम	राशि	चेक सं०
1	सितम्बर 22.9.07 से 30-9-07 तक	900=00	672575 / 14-12-07
2	अक्टूबर 1-10-07 से 31-10-07 तक	3000=00	
3	नवम्बर 1-11-07 से 30-11-07 तक	3000=00	
		6900=00	~~6000=00~~
4	दिसम्बर 1-12-07 से 31-12-07 तक	3000=00	
5	जनवरी 1-1-2008 से 31-1-08 तक	3000=00	
		6000=00	6000=00
	फरवरी		चेक सं० 672585 द्वारा
6	फरवरी 08 — 29 दिन का	3000=00	चेक सं० 672588 / 15-3-08
7	मार्च 08 — 31 दिन	3000=00	
8	अप्रैल 08 — 30 दिन	3000=00	
		~~9000=00~~	
9	मई 08 — 30 दिन	2500=00	
10	जून 08 — 25 दिन	3000=00	
11	जुलाई 08 — 31 दिन	3000=00	
12	अगस्त 08 — 31 दिन	3000=00	
13	सितम्बर 08 — 30	1000=00	
14	अग्रिम — दुर्गापूजा के अवसर पर 15-10-08	1000=00	
15	अग्रिम — छठ पर्व पर के अवसर पर 29-10-08	3000=00	
16	अक्टूबर 08 — 31 दिन	3000=00	
17	नवम्बर 08 — 30 दिन	3000=00	
18	दिसम्बर 08 — 31 दिन	3000=00	
19	जनवरी 09 — 31 दिन	3000=00	
20	फरवरी 09 — 28 दिन	3000=00	
21	मार्च 09 — 31 दिन		
22	अग्रिम — नागपंचमी के अवसर पर 10-7-09	1000=00	
23	अप्रैल 2009 — 30 दिन	3000=00	
24	अग्रिम — छठ पर्व के अवसर पर 22-10-09	1000=00	
25	अग्रिम — होली के अवसर पर 25-2-10	2000=00	
26	अग्रिम — तिलासंक्रान्ति — 20-8-10	1000=00	
27	मई 2009 से मार्च 2010 तक	32100=00	
		96,400	

उमेश दास
कोषपाल
3/3/11